न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 89/2024

अपीलाण्ट्स **बनाम** **रेस्पोन्डेन्ट**

1. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल राव के का0मु0:–
   1. दयालराम पुत्र भंवरलाल जाति राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी
   2. पपू पुत्री भंवरलाल पत्नी गौतम निवासी– अशोक कॉलोनी, रामसागर रोड, जोधपुर
   3. गुडडी पुत्री भंवरलाल पत्नी नरपत निवासी– रावों का बास,सियारा, तहसील पीपाडशहर, जोधपुर।
   4. कौशल्या पुत्री भंवरलाल पत्नी अर्जुनराम निवासी–कानावास, बलून्दा, तहसील जैतारण, पाली
   5. लीला पुत्री भंवरलाल पत्नी प्रहलाद निवासी रावों का बास, तहसील तिवंरी, जोधपुर।
   6. सीता पत्नी भंवरलाल जाति राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी
2. जवाहरलाल पुत्र मांगीलाल जाति राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी
3. रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति राव के का0मु0:–
   1. दिलीप पुत्र रामनिवास
   2. गजेन्द्र पुत्र रामनिवास राव निवासी– शिकारगढ, जोधपुर
   3. सूरज पत्नी रामनिवास जाति राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी
   4. ममता पुत्री रामनिवास पत्नी भवानीसिंह राव निवासी– 306, रघुनाथ एन्कलेव, सरदार समन्द रोड, जोधपुर
4. इन्द्रराज पुत्र मांगीलाल जाति राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी
5. गीता बेवा स्व.बुलीदान पुत्रवधु मांगीलाल
6. भानाराम पुत्र बुलीदान पौत्री मांगीलाल जाति राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी जाति राव निवासी–

1. धनराज पुत्र स्व. झूमरलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. झूमरलाल
3. अनोप पुत्री स्व. झूमरलाल
4. डगू पुत्री स्व. झूमरलाल जातियान राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत खेडापा (लवेराखुर्द) तहसील बावडी, जोधपुर

लवेरा खुर्द तहसील बावडी
7. विमला पुत्री बुलीदान पौत्री मांगीलाल राव निवासी–खुडियाला, जोधपुर।
8. सन्तु उर्फ सन्तोषी पुत्री बुलीदान पौत्री मांगीलाल पत्नी पुरषोतम राव निवासी–रावों का बास, तिवरी, जोधपुर।
9. उषा पत्नी स्व. हनुमानराम जाति राव निवासी– लवेरा खुर्द तहसील बावडी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.10.2023 जो तहसीलदार, बावडी के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 12/2022 अनवान धनराज वगैराह बनाम भंवरलाल वगैराह में पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री नवरतन चारण, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।
4– शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः 18 दिसम्बर, 2024

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, बावडी, जिला जोधपुर ग्रामीण के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 12/2022 अनवान धनराज वगैराह बनाम भंवरलाल वगैराह में पारित आदेश 16.10.2023 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.04.2024 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील के विलम्ब क्षमन करने बाबत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व गैर हाजरी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसकी प्रथम बार जानकारी दिनांक 17.03.3024 को रेस्पोडेन्ट ने धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि में रेस्पो0 ने अपने नाम नामा0 करवा लिया है तथा अपीलान्ट का नाम हटा दिया है तब पटवारी हल्का से सम्पक कर जानकारी ली तथा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गई है अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील को मियाद के अन्दर शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित की जावें। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र को न्यायहित में

स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने उपखण्ड अधिकारी, बावडी के समक्ष एक अपील पेश कर मौजा ग्राम लवेरा खुर्द के ख0सं0 781 रकबा 40.08 बीघा कृषि जो कि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के ताउजी, रेस्पो0 संख्या 01 से 9 के पिता/ससुर/दादा मांगीलाल पुत्र सांवलराम के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना अंकित करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि में मांगीलाल का 1/3 हिस्सा निहित था, जो वक्त सेटलमेन्ट मांगीलाल के नाम से आवंटित थी। तत्पश्चात भूमि का बंटवाडा होने पर उक्त सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का रेस्पोडेन्ट के पिता झुमरलाल को लिखित वसीयतनामा दिनांक 16.08.1993 के वसीयत कर दी थी। मांगीलाल का देहान्त हो जाने पर प्रत्यर्थीगण ने वसीयतनामे को छुपाते हुए फौतेदगी नामा0 संख्या 667 दिनांक 20.05.2004 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया जिस नामा0 आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है। उपखण्ड अधिकारी, बावडी ने अपील को दिनांक 27.07.2022 को स्वीकार करते हुए प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार बावडी ने रिमाण्ड प्रकरण संख्या 12/2022 में दिनांक 16.10.2023 को आदेश पारित करते हुए नाम0 संख्या 667, 1458 व 1663 को खारिज कर दिया। तहसीलदार बावडी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट से यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निराधार होने, गैर कानूनी, विधिक प्रावधानों के विपरित तथा दस्तावेजों के विपरित होने से प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार बावडी के द्वारा उनके सक्षम प्रस्तुत प्रकरणों में रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किये गये है जो खारिज करने योग्य है। तहसीलदार बावडी द्वारा भी भंवरलाल के कायम मुकाम को जारी नोटिस को एक व्यक्ति दयाल के द्वारा प्राप्त करना बताया जबकि दयाल द्वारा स्वयं का नोटिस प्राप्त ही नहीं किया है और न ही भंवरलाल के अन्य उत्तराधिकारियों के नोटिस दयाल द्वारा प्राप्त किये गये है। रामनिवास के कायम मुकाम के समस्त नोटिस दिलीप द्वारा तामील किये है। दिलीप का भाई गजेन्द्र जोधपुर रहता है। रामनिवास की पुत्री ममता ससुराल में रहती है। उक्त नोटिस कार्यवाही फर्जी तरीके से करवाते हुए दशाई गई है। भंवरलाल की पुत्रिया भी अपने ससुराल में रहती है, उनके ससुराल के पते पर नोटिस जारी नहीं किये, ऐसे में उनकी तामील पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। अतः अपीलाधीन आदेश इस आधार पर त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में रेस्पो0 संख्या 6,7,8,9 बुलीदान की पुत्रियों के नोटिस अकेले भानाराम द्वारा तामील होना बताया, जबकि भानाराम ने कोई नोटिस तामील नहीं किये, बुलीदान की पुत्री विमला व सन्तु ससुराल में निवास करती है जिनके गलत पते पर तामील करवाई गई। इसी प्रकार अप्रार्थी हनुमानराम का देहान्त लगभग 11 वर्ष पूर्व हो चुका था, मृतक हनुमानराम के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र फौरी तामीली कार्यवाही के लिये दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योती में सूचना प्रकाशित करवाई थी। उक्त समाचार पत्र उस जगह प्रकाशित होकर आता नहीं है। जानबूझकर अप्रार्थीगण को तामील सूचना न हो, इसलिये नवज्योती समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किये गये थे। ग्राम पंचायत को भी नोटिस जारी नहीं किये गये थे।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के जिस स्थगन आदेश का हवाला देकर नामा0 संख्या 1458 व 1663 खारिज किये गये है वो स्थगन दिनांक 29.1.2019 तक ही प्रभावी था जिसको कभी आगे नहीं बढाया गया, ऐसे में क्षेत्राधिकार से बाहर नामा0 संख्या 1458 व 1663 को खारिज किया गया है। उक्त नामा0 को खारिज करवाये जाने हेतु कोई अपील पेश नहीं की गई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त नाम0 संख्या 667 जो मूल खातेदार मांगीलाल के उत्तराधिकार में उत्तराधिकारियों के समुचित जॉच उपरान्त ही उक्त नामा0 भरा गया था तथा पूर्व में वादग्रस्त भूमि पर मांगीलाल का कब्जा काश्त व उपभोग/उपयोग कर रहा था और मांगीलाल की भूमि उनके उत्तराधिकारियों मिली जिस पर उनका कब्जा काश्त आदिनांक तक है। तथाकथित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामा0 स्वीकृत किया गया है। उक्त वसीयत अपीलान्ट के पिता/पूर्वज ने कभी निष्पादित नहीं की थी, उक्त वसीयत कूटरचित, फर्जी है जो अपीलान्ट के हितों के विरूद्ध होने से शून्य दस्तावेज होने से स्वीकार करने योग्य नहीं था। फिर भी तहसीलदार के द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रेकर्डेड खातेदार के खातेदारी हक अधिकार समाप्त कर दिये जो गैर कानूनी, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जो निरस्त करने योग्य है। इसके अलावा उक्त वसीयत अन रजिस्टर्ड है तथा साक्ष्य/गवाह से उचित रूप से अनुप्रमाणित नहीं है। वसीयत में झूमरलाल के पास पैसा नहीं होने से वसीयत किया जाना बताया है जबकि झूमरलाल राज0 पुलिस में नौकरी करता था उसी का फायदा उठाकर फर्जी वसीयत तैयार कर भूमि हडपने का षडयंत्र रचा गया

है। फर्जी वसीयत के आधार पर मूल खातेदार के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अतः फर्जी वसीयत के आधार पर तथा मूल खातेदारों के वैधानिक अधिकारों के विपरित जाकर व पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना बिना समरी प्रोसिडिंग्स कार्यवाही के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है वो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2023 को निरस्त किया जावें तथा नामा0 संख्या 667, 1458 व 1363 को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्टस अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त एवं विधिक प्रावधानों को पेश किया गया जिनका अवलोकन किया गया यथा डीएनजे 2020(1) पेज 295, सीसीसी 2016(4) पेज 812, डीएनजे 2020(1) पेज 331, आरआरटी 2024(2) पेज 1389, एससी एआईआर 1969 पेज 1355, एआईआर 1968 पेज 212, एचसी दिल्ली रिट संख्या 67/2003, धारा 105 (1) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 इत्यादि।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने उपखण्ड अधिकारी, बावडी के समक्ष एक अपील पेश की गई थी जिसमें मौजा ग्राम लवेरा खुर्द के ख0 सं0 781 रकबा 40.08 बीघा कृषि जो कि राजस्व रेकर्ड में अपीलान्टस के ताउजी, रेस्पो0 संख्या 01 से 9 के पिता/ससुर/दादा मांगीलाल पुत्र सांवलराम के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में वक्त सेटलमेन्ट मांगीलाल के नाम से आवंटित थी। मांगीलाल का 1/3 हिस्सा निहित था, तत्पश्चात भूमि का बंटवाडा होने पर उक्त सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का झुमरलाल को लिखित वसीयतनामा के दिनांक 16.08.1993 के वसीयत कर दी थी। मांगीलाल का देहान्त हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियों ने वसीयतनामे को छुपाते हुए फौतेदगी नामा0 संख्या 667 दिनांक 20.05.2004 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया गया। उक्त स्वीकृत नामा0 को निरस्त किया जावे तथा वसीयतनामा अनुसार नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी ने अपील को दिनांक 27.07.2022 को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार बावडी को रिमाण्ड कर दिया।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार बावडी ने रिमाण्ड प्रकरण संख्या 12/2022 दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को अपना पक्ष रखे जाने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये थे। जो नोटिस उनके निकटतम विधिक प्रतिनिधि/सगे सम्बन्धी के द्वारा व्यक्तिशः तामील किये गये थे। अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के द्वारा नोटिस तामील कर लिये जाने एवं रिमाण्ड प्रकरण दर्ज होने की जानकारी होने के बावजूद भी न तो अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखा और न कोई अधिवक्ता नियुक्त किया गया। तब तो [illegible]

नोटिस जारी किये गये। जिसके पश्चात भंवरलाल के पुत्र दयाल के द्वारा भंवरलाल के कायम मुकामान के प्राप्त किये गये तथा रामनिवास के कायम मुकामान के नोटिस उनके पुत्र दिलीप के द्वारा प्राप्त किये गये। तथा बुलीदान के वंशजों के नोटिस भानाराम के द्वारा प्राप्त किये गये। तब अधीनस्थ न्यायालय ने हम रेस्पो0 के पूर्वज झूमरमल के पक्ष में निष्पादित वसीयत के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने बाबत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गई। अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के द्वारा सूचना होने के बावजूद न तो उपस्थित हुए और न ही उल्लेखित वसीयत बाबत किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की तब उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के पिता झूमरलाल के पक्ष में निष्पादित वसीयत को विधि अनुसार निष्पादित होना तथा वादग्रस्त भूमि पर 30 वर्षो से अधिक वसीयतग्रहिता का कब्जा काश्त होने के आधार पर उल्लेखित वसीयत के अनुसर झूमरलाल के देहान्त उपरान्त झूमरलाल के विधिक वारिसान यानि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पक्ष में नामा0 करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2023 को पारित किया गया है जो पूर्णतः विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बावडी के न्यायालय के द्वारा स्व. मांगीलाल पुत्र सांवलराम के देहान्त उपरान्त उनके वारिसान के नाम स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 667, 1458 व 1663 को निरस्त किये जाने के आदेश के तहत उक्त तीनों नामा0 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में अपीलान्टस की अपील पूर्ण रूप से आधारहीन होने एवं सारहीन होने तथा पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे तथा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पक्ष में पारित किये गये अपीलाधीन आदेश 16.10.2023 को बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार बावडी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2023 के विरूद्ध यह अपील अपीलान्टस के द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को विधिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील नहीं करवाये गये और न ही उनको सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। प्रकरण में कई महिला पक्षकार अपने–अपने ससुराल में निवास करती आ रही है, जिनकी व्यक्तिशः तामीली भी पूर्ण नहीं करवाई गई। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी हडमानराम का भी 11 वर्ष पूर्व देहान्त हो जाने के बावजूद उनको प्रकरण में

पक्षकार बनाये रखा, उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पिता झूमरलाल के पक्ष में मृत खातेदार मांगीलाल के द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया हुआ होना दर्शाया गया है जिसको मध्यनजर रखते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा विरासत के नामा0 संख्या 667 दिनांक 20.05.2004 को आदेश दिनांक 27.07.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण को तहसीलदार बावडी को रिमाण्ड किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पिता के पक्ष में वसीयत दिनांक 16.08.1993 को निष्पादित होने के उपरान्त खातेदार मांगीलाल जिनका देहान्त वर्ष 2003–2004 में हो चुका है तथा वसीयतग्रहिता की भी दिनांक 06.02.2001 को देहान्त हो गया है। ऐसे में वसीयतग्रहिता झूमरलाल के वारिसान/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 को वसीयतकर्ता मांगीलाल के देहान्त हो जाने पर उनके पिता के पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर तत्समय में अपने नाम से नामा0 दर्ज करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये थे। रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के द्वारा मांगीलाल के फौतेदगी नामा0 संख्या 667 दिनांक 20.05.2004 के विरूद्ध वर्ष 2019 में प्रथम अपील पेश की गई है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 को उक्त वसीयतनामें के आधार पर अपने हक–अधिकार तय करवाने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, नामा0 कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिससे हक–अधिकार तय नहीं करवाये जा सकते है। उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन करने, दस्तावेजों व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है एवं तहसीलदार, बावडी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त करना न्यायोचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बावडी के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 12/2022 अनवान धनराज वगैराह बनाम भंवरलाल वगैराह में पारित आदेश दिनांक 16.10.2023 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/12/24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर